

# हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १९

सम्पादक : मगनभाई प्रभुवास देसाई

अंक ४४

मुद्रक और प्रकाशक

जीवणजी डाह्याभाजी देसाजी  
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-१४

अहमदाबाद, शनिवार, ता० ३१ दिसम्बर, १९५५

वार्षिक मूल्य देशमें ६० ६  
विदेशमें ६० ८; शि० १४

## हमारी बुनियादी आर्थिक दृष्टि

अगर आप मुझे विजाजत दें तो मैं कर्वे-रिपोर्टके बारेमें कुछ कहूंगा; क्योंकि मुझे लगता है कि जिस प्रश्न पर बड़ी गलत-फहमी, गलत डर और भ्रम लोगोंमें फैला हुआ है। किसी खास समय किसी खास बात पर जोर देनेके बारेमें मतभेद जरूर हो सकता है।

अब हमारी बुनियादी दृष्टियां क्या हैं? एक दृष्टि यह है कि हम कुदरती तौर पर उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, देशकी सम्पत्तिमें वृद्धि करना चाहते हैं, देशमें अधिकाधिक बुद्योग-धन्धे बढ़ाना चाहते हैं। मैं नहीं मानता कि देशमें बड़े पैमाने पर बुद्योग-धन्धे खोले बिना और उत्पादनकी नयीसे नयी पद्धतियां अपनाये बिना हम भारी तरक्की कर सकेंगे। बड़े पैमानेसे मेरा मतलब सिर्फ बड़े बुद्योगोंसे नहीं, बल्कि व्यापक पैमाने पर बुद्योग-धन्धे खोलनेसे भी है। अगर हम लोग लोहे और फौलादके कारखानोंका विकास करना चाहते हैं, तो हमारे देशमें लोहे और फौलादके नयेसे नये यंत्रोंवाले कारखाने होने चाहिये। अगर हम रेलके अंजिनका कारखाना रखना चाहते हैं तो वह नयेसे नये ढंगका होना चाहिये। अगर हमारे पास, फर्ज कीजिये, सीमेन्टका कारखाना हो, खादका कारखाना हो, रक्षाके लिये हथियार तैयार करनेवाले कारखाने हों या सबसे अधिक बुनियादी और सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण यंत्र बनानेवाले कारखाने हों, तो वे नयेसे नये ढंग और नयीसे नयी पद्धतिके होने चाहिये। हम पुरानी पद्धतियोंसे काम चलाकर न तो दूसरे देशोंकी होड़में खड़े रह सकते हैं और न ज्यादा माल उत्पन्न कर सकते हैं। यह एक दृष्टि हुई।

दूसरी और अतनी ही महत्त्वकी दृष्टि है लोगोंको कामधन्धा देनेके बारेमें। देशमें बेकारीका होना, खास करके बड़े पैमाने पर बेकारीका होना, हमें पुसा नहीं सकता। लोगोंको काम देना केवल हमारा फर्ज ही नहीं, सामाजिक आवश्यकता भी है। अगर हम यह व्यवस्था नहीं करते तो दोनों तरफसे मुसीबत खड़ी होती है।

अब हमें अिन दोनों दृष्टियोंके बीच सन्तुलन कायम करना है, और सन्तुलन कायम करनेमें कभी बातोंका विचार करना होता है। दूसरी कभी सामाजिक बातोंका विचार करना होता है। बेशक, बुद्योगीकरणके पुराने पूंजीवादी रूपके खिलाफ एक बड़ी आपत्ति यह है कि वह जिस सामाजिक दुःख-दर्दको पैदा करता है, उसकी बिलकुल परवाह नहीं करता, हालांकि आखिरमें वह देशका उत्पादन जरूर बढ़ाता है। सच पूछा जाय तो मार्क्सकी पुस्तक 'केपिटल' शुरूसे आखिर तक अिंग्लैण्डमें हुये बुद्योगीकरणके विकासकी और उसके कारण पैदा हुई भयंकर मुसीबतोंकी ही चर्चा करती है। दरअसल साम्यवादी दृष्टिकोणका सारा आधार अिंग्लैण्डमें १९ वीं सदीमें जो कुछ हुआ उसी पर है। वह अब पुराना पड़ गया है।

आज कोजी उसे दुहरा नहीं सकता और न कोजी उसे किसी देशमें दुहराना चाहता है। हम भी अपने देशमें उसे दुहरा नहीं सकते, क्योंकि लोग उसे बरदाश्त नहीं करते। और न हम उसे दुहराना ही चाहते हैं।

अिसलिये उत्पादनकी नयीसे नयी पद्धतियां अपनायानेके सिद्धान्त पर कायम रहते हुये लोगोंको कामधन्धा देनेकी बात पर उसके असरका विचार करके हमें उसकी गति पर हमेशा संयम रखना होगा। अगर कोजी चीज बेकारी पैदा करती हो तो हमें विचार करना होगा कि उस सम्बन्धमें क्या किया जाय, क्योंकि बेकारीका पूंजीवादी दृष्टिसे विचार करने पर भी यह देखना हमारा फर्ज हो जाता है कि अगर हम लोगोंको कामधन्धा न दे सकें तो हमें अुन्हें 'डोल' देना चाहिये। अिंग्लैण्डको और उसके जैसे दूसरे देशोंको यही करना पड़ता है। बहुतायतसे मालका उत्पादन करके वे अपने बेकार नागरिकोंको 'डोल' देते हैं। हमें अपने एक करोड़ लोगोंको 'डोल' देना पुसा नहीं सकता। 'डोल' देना बुरी बात भी है। 'डोल' देनेके बदले काम देना कहीं बेहतर है, भले वह काम आर्थिक दृष्टिसे नुकसान पहुंचाता हो। हम घटिया पद्धतियोंसे काम करके अिस दुनियाके दूसरे देशोंकी होड़में खड़े नहीं रह सकते; और हम अपने बड़े बुद्योगों और मध्यम बुद्योगोंमें अुंची पद्धतियां अपनाकर दूसरे किसी बुद्योगमें पुरानी पद्धतिसे काम नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी नीति पर चलना और भी बुरा है, जो अेकदम न सही परन्तु धीरे-धीरे भी यथाशक्ति बेकारीकी समस्या हल करनेमें हमारी मदद नहीं करती। पैदा होनेवाली सामाजिक मुसीबतोंके खयालसे और दूसरी कभी दृष्टियोंसे भी, व्यापक पैमाने पर लोगोंको कामधन्धा देना कहीं ज्यादा अच्छा है। कामधन्धेके फैलावसे पैदा होनेवाली खरीद-शक्ति देशकी आर्थिक व्यवस्थाको ज्यादा तेजीसे आगे बढ़ाती है। अिन सिद्धान्तोंको स्वीकार करके यह सोचना होगा कि अूनमें सन्तुलन कैसे कायम किया जाय? सन्तुलनका ध्यान हमें हमेशा रखना होगा।

जहां तक अम्बर चरखेका सम्बन्ध है, अगर मैं कह सकू तो उसकी कीमत अंतिम रूपसे नहीं आंकी गयी है। अंसा करनेके दो रास्ते हैं। अेक रास्ता यह है कि निष्णात लोग उसे कुछ महीने चलायें और अपनी राय दें। दूसरा और शायद बेहतर रास्ता यह है कि सैकड़ों-हजारों व्यक्ति, साधारण लोग, उस पर काम करें और हम अिसका पता लगायें कि अुन्होंने उस पर कैसे काम किया है; क्योंकि वही सच्ची कसौटी है। अब यही किया जा रहा है। अभी तक जो नतीजे आये हैं, वे कुल मिलाकर सन्तोषप्रद हैं। जैसा कि मैंने कहा, अभी हम बिचली मंजिल पर हैं। लेकिन वह हमें आशा, काफी आशा, बंधाती है। अम्बर चरखा कुछ हजार लोगोंमें बांटा जा रहा है; अूनका अनुभव और अूनकी रिपोर्ट बहुत मददगार साबित होगी। उसकी परीक्षा करनेवाले

कुछ विशेषज्ञ लोगोंकी टेकनिकल रिपोर्टको छोड़ दें, तो आज भी वह आशाप्रद मालूम होता है और बेशक, अगर में ऐसा कह सकूँ, हमारी आशासे भी कुछ बढ़कर मालूम होता है।

लेकिन अंबर चरखा जिस विषयमें कोबी अंतिम चीज नहीं है। आजके अम्बर चरखेमें भी अपुयोग करनेसे सुधार हो सकता है। जाहिर है कि अम्पास और अपुयोगसे अुसमें सुधार हो सकते हैं। और वह ज्यादा और ज्यादा अपुयोगी औजार बनाया जा सकता है। इसके लिये कोबी कारण नहीं है कि अम्बर चरखा या दूसरी कोबी छोटी घरेलू मशीन समय आने पर बिजलीकी शक्तिका अपुयोग न करे, ताकि बेकारीकी समस्याका हमेशा खयाल रखते हुये धीरे धीरे वह छोटी मशीन भी टेकनिकल दृष्टिसे कार्यक्षम बन जाय। जिसकी पूरी तरह कल्पना की जा सकती है, बेशक यह संभव हो सकता है, कि अम्बर चरखेके मौजूदा डिजाइनसे नहीं तो अुसके कुछ सुधरे हुये डिजाइनसे हम बड़े पैमानेकी अुत्पादनकी पद्धतिको प्राप्त कर सकते हैं। छोटे पैमानेकी अुत्पादन पद्धतिका अेक लाभ यह है कि हमें मालको अेक जगहसे दूसरी जगह नहीं भेजना पड़ता और जिस तरह मालकी लागत कीमत कम हो जाती है। जिसमें कोबी शक नहीं कि वह बड़ी मशीनके बनिस्वत आर्थिक दृष्टिसे कम कार्यक्षम होगी। हमें दोनोंके बीच सन्तुलन कायम करना होगा। यह सचमुच अेक बड़ा सवाल हो जाता है—हवामें दलीलें करनेका नहीं बल्कि अिन सब बातोंका विचार करनेका और लोगोंको कामघन्घा देनेकी बातको देखने और सबसे पहले तरजीह देनेका।

खादी-ग्रामोद्योग बोर्डने अगले पांच वर्षके लिये अेक कार्यक्रम बनाया है। कामकी कुछ कल्पना होनेके लिये, चर्चा करनेके लिये, हमारे सामने योजनाका होना अच्छी बात है। लेकिन सच पूछा जाय तो अुसका आधार कबी अनिश्चित बातों पर है। समय बीतने पर, आजसे छः महीने बाद, हम अम्बर चरखेके बारेमें कुछ कहनेके लिये ज्यादा अच्छी स्थितिमें रहेंगे। अगले वर्ष, व्यापक पैमाने पर अुसकी अुत्पादक शक्तिको जाननेके बाद हम अुसके बारेमें बात करनेके लिये और भी ज्यादा अच्छी स्थितिमें होंगे। आज हम जो कार्यक्रम बनाते हैं वह केवल अस्थायी कार्यक्रम होगा, जिसकी कीमत दरअसल अेक वर्ष या दो वर्ष बाद आंकी जानी चाहिये और अुसके आधार पर अुसमें फेरबदल करना चाहिये। परिणामके लिये हमें अगले दो वर्षों पर दृष्टि रखनी चाहिये और प्रति वर्षके परिणाम परसे अुसकी कीमतकी जांच करनी चाहिये।

जिसका अेक तीसरा पहलू भी है। अुसका संबंध जिस देशमें होनेवाली कपड़ेकी खपतका अन्दाज लगानेसे है। कपड़ेकी खपत जिस देशमें काफी तेजीसे बढ़ रही है, अुसकी गति धीमी होते हुये भी कुल मिलाकर वह बहुत बड़ी हो जाती है। अगर हम अन्दाज लगायें—भले वह अन्दाज कुछ भी हो—और अुसके अनुसार हिसाब करें तो वह बहुत अच्छी बात है। अगर कपड़ेकी मांग अुससे कहीं ज्यादा हो तो अुत्पादन पिछड़ जाता है। अैसी हालतमें भाव बढ़ जाते हैं और कठिनायियां व मुद्राप्रसार जन्म लेता है। हम यह सब टालना चाहते हैं। हम जिस बारेमें कोबी जोखिम नहीं उठाना चाहते, मांगको दोनों तरफकी पूर्तिसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहते और अुसकी वजहसे दूसरी अैसी हालतें पैदा नहीं होने देना चाहते, जिनका न केवल हमारी कपड़ेकी स्थिति पर बल्कि हमारी संपूर्ण अर्थ-रचना पर बुरा असर पड़े। जिसलिये हमें यह विचार करना होगा कि अम्बर चरखा कितनी तेजीसे सूतका अुत्पादन कर सकता है। अंबर चरखेके संबंधमें खास कठिनायी अुसके काम करनेकी नहीं है। वह अच्छा काम दे सकता है। लेकिन खास कठिनायी अुसे हजारों गांवोंमें फैलानेकी

है। खास कठिनायी अुसकी व्यवस्था करनेकी है। किसी बड़े लोहे और फौलादके कारखानेकी व्यवस्था करना तुलनामें आसान है, लेकिन अैसी किसी चीजकी व्यवस्था करना कठिन है, जो ५० हजारसे ज्यादा गांवोंमें फैली हुयी हो। अगर अुस चरखेमें कोबी थोड़ा बहुत विगाड़ हो जाय तो अुसे सुधारनेकी दूसरी समस्या है। लोगों तक कच्चा माल पहुंचाना और सूत अिकट्टा करना अपने-आपमें अेक जबरदस्त काम है। अगर यह चरखा संतोषप्रद ढंगसे काम न करे तो अुत्पादनमें कमी हो सकती है। जिसलिये कम अुत्पादनके बजाय अधिक अुत्पादनकी गलती करना बेहतर होगा। अतः हमें अुस दृष्टिसे यह विचार करना होगा कि मिलोंमें या दूसरी जगह कितने तकुओंकी जरूरत होगी। अगर हिसाब करके मालूम हो जाय कि मिलोंमें काफी तकुअे हैं तो कोबी कठिनायी नहीं रह जाती। लेकिन अगर हमारे पास काफी तकुअे न हों, तो हमें यह विचार करना होगा कि किस हद तक अुनकी वृद्धिको प्रोत्साहन दिया जाय। जिस तरह ये सारी बातें केवल सैद्धान्तिक दलीलों या सिद्धान्तोंकी बातें नहीं, बल्कि तथ्योंका सावधानीपूर्वक विचार करनेके प्रश्न बन जाती हैं।

हमें यह बताया गया था कि जिस समय मिलोंमें अुत्पादनकी खासी अच्छी क्षमता है; जरूरत पड़ी तो तीसरी पाली शुरू की जा सकती है, और भी ज्यादा जरूरत मालूम हुयी तो आज जो तकुअे मिलोंमें निकम्मे पड़े हुअे हैं अुन्हें काममें लिया जा सकता है। जिस बात पर हमें विचार करना चाहिये। मेरा मुद्दा यह है कि यह प्रश्न अुंचे सिद्धान्तका नहीं है, बल्कि हमारी आजकी कपड़ा-स्थिति पर सावधानीसे विस्तृत विचार करनेका है, ताकि हम अम्बर चरखेको यथासंभव ज्यादासे ज्यादा तेजीसे फैला सकें, अुसके नतीजे देखें, तथा अुसे फैलाते जायं और साथ ही जिस बातका भी ध्यान रखें कि देशमें बढ़नेवाली मांग और खपतके कारण कपड़ेकी तंगी पैदा न हो। मैं केवल अुंचे सिद्धान्तोंके बारेमें दलील नहीं चाहता, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं हमारी बुनियादी दृष्टिमें कोबी भेद नहीं है। जिस या अुस बात पर जोर देनेके बारेमें मतभेद हो सकता है। हमें अिन सिद्धान्तोंको अपने सामने रखकर और काममें कोबी बड़ा जोखिम न उठाकर आजमायिश और गलतीके तरीकेसे आगे बढ़ना है।

अम्बर चरखेको दोनों तरहसे विकास करनेका हर मौका दिया जाना चाहिये। अेक, मौजूदा अम्बर चरखेको व्यापकसे व्यापक पैमाने पर आजमाना चाहिये। दूसरे, अुसका विकास करनेके लिये अुसमें हर तरहके आवश्यक टेकनिकल सुधार करने चाहिये। अितना कहनेके बाद, दूसरा प्रश्न यह खड़ा होता है कि हमें मिलोंमें किस हद तक तकुअे बढ़ानेको प्रोत्साहन देना चाहिये? यह हिसाब करने और अन्दाज कूतनेकी बात है। जैसे जैसे अम्बर चरखेके कामके नतीजे हमें मालूम होते जायंगे, वैसे वैसे हमारा हिसाब ज्यादा और ज्यादा निश्चित होता जायगा। जिस पर हवामें चर्चा करनेसे कोबी लाभ नहीं होगा। सिद्धान्तोंके साथ मैं सहमत हूं, और अुनमें से अेक सिद्धान्त यह है कि हमें अम्बर चरखेको अधिकसे अधिक आगे बढ़ाना है। जिसके खिलाफ यह दलील पेश की जाती है: अम्बर चरखेको आगे बढ़ानेसे क्या लाभ होगा, अगर आप अम्बर चरखे द्वारा पैदा किया हुआ सारा सूत काममें नहीं ले सकते? यह बहुत ठोस दलील है। बेशक, पहले हमें अम्बर चरखे द्वारा पैदा किये जानेवाले अच्छे सूतको काममें लेनेकी गारंटी देनी चाहिये और बादमें अम्बर चरखेको फैलाना चाहिये।

जिसके सिवा, हमारी आजकलकी अर्थ-रचना सौभाग्यसे विकास करनेवाली अर्थ-रचना है। लेकिन हमारा झुकाव स्थिर अर्थ-रचनाका विचार करनेकी ओर होता है। विकास करनेवाली अर्थ-रचनाका

अर्थ है अधिक संपत्ति, अधिक खरीद-शक्ति और मालका अधिक उत्पादन। अगर हम स्थिर अर्थ-रचनाकी भाषामें विचार करते हैं, तो हम अपनी अर्थ-रचनाके विकास पर रोक लगा देते हैं। ये सारी कठिनायियां खड़ी होती हैं। केवल कुछ अस्पष्ट और अनिश्चित मार्गोंकी चर्चा करना बेकार है। ये मार्ग अपने-आपमें अच्छे हैं, लेकिन हमें तो नीचे अतर कर तथ्यों और आंकड़ोंका विचार करना चाहिये।

एक और बात भी है, जिसे हमें भूलना नहीं चाहिये। हमारे विकासके बावजूद हमारी बड़ी बड़ी विकास-योजनाओंके कारण हमारी आय पर बहुत जोर पड़ रहा है। हमारे कूते हुए साधनों और हम जो कुछ खर्च करनेका अि़रादा रखते हैं, अिन दोनोंके बीच बड़ी खाती है। आम तौर पर हम किसी अधिक बड़े प्रयत्नसे और संभवतः बड़ी हद तक किसी बाहरी मददसे अिस खातीको पूरना चाहेंगे। बाहरी मदद मिल सकती है, लेकिन मैं नहीं मानता कि बाहरी मदद पर भरोसा रखनेके बारेमें हम बहुत निश्चित रह सकते हैं। और चूंकि बाहरी दुनियामें आज अनेक घटनायें घट रही हैं, अिसलिये संभव है बाहरी मदद मांगना आजकी स्थितिमें हमारे लिये वांछनीय न हो।\*

(अंग्रेजीसे)

जवाहरलाल नेहरू

### टिप्पणियां

#### संकुचित वृत्तिसे सावधान रहें

ता० १५-११-५५ को मद्रासके एक भाषणमें बोलते हुए डॉ० राजेन्द्रप्रसादने एक बातके बारेमें, जो देशके दूसरे भी कभी लोगोंको दुःख पहुंचाती है, नीचेके शब्दोंमें अपना दुःख प्रकट किया :

“यह देखकर सचमुच आश्चर्य होता है कि गांधीजीके अवसानके बाद अितनी जल्दी हम अुन बहुतेरी चीजोंको कैसे भूल गये, जो गांधीजीके जीवनकालमें हमें बहुत स्पष्ट, खुली और स्वयंसिद्ध जैसी दिखायी देती थीं। यह सचमुच बड़े आश्चर्यका विषय है कि बहुतसे मामलोंमें हमें अुन बातोंके बारेमें न केवल सबूतकी जरूरत मालूम होती है, बल्कि वे गलत भी मालूम होती हैं।

“वह बुनियादी बात क्या थी, जो गांधीजीने कही थी? अलबत्ता, अुन्होंने हमारे लोगोंकी आर्थिक दशा सुधारनेके महत्त्व पर, अुनकी भूख और बीमारीको मिटाने पर जोर दिया था; वे अिन सब बातोंसे अनजान नहीं थे, न अुन्होंने अिनकी कभी अपेक्षा की। सच पूछा जाय तो अिन बुराअियोंको दूर करनेके लिये अुन्होंने भरसक प्रयत्न किया। लेकिन साथ ही अिस सारी चीजको अुन्होंने आत्मा और सदाचारकी पक्की नींव पर खड़ा किया था। आज हम अिस नींवको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अगर अुस नींव पर आधार रखें तो भविष्यमें हम अपने काम सही ढंगसे और दृढ़तापूर्वक चला सकेंगे।”

अैसे ही दुखी मनसे कांग्रेसके अध्यक्षने पिछले अपने आसामके दौरेमें कहा था कि स्वतंत्र भारतमें पहला और सबसे बड़ा संकट यह दिखायी देता है कि हमारी आत्मत्याग और बलिदानकी भावना नष्ट हो गयी है। यह हमारे राष्ट्रकी एक बड़ी पूंजी थी, जिसके बल पर आजादीके लिये हमने प्रयत्न किया और अुसे हासिल किया। अिस भावनाके नष्ट हो जानेका ताजेसे ताजा सबूत आज हम राज्य-पुनर्रचनाके बारेमें तथा अुस प्रश्नको देखनेकी लोगोंकी वृत्ति और मानसमें देख रहे हैं। अिस दुःखद

\* १५ दिसम्बर, १९५५ के 'अे० आजी० सी० सी० अिकॉ-नामिक रिव्यू' से अुद्धृत।

तसवीरको देखकर कुछ लोग अैसा कहने लगे हैं कि हमें अिस सवालको कुछ समयके लिये मुलतवी कर देना चाहिये। स्पष्ट ही यह निराशाकी सलाह है—अैसा अिनकार है जिससे कोअी मदद नहीं हो सकती। देरी अिस सवालको हमारे लिये हल नहीं कर देगी, क्योंकि जब कभी हम फिरसे अिस सवालको हाथमें लेंगे हमारे सामने यही कठिनायी आयेगी, अगर हमारी वृत्ति और मानस वैसा ही रहेगा जैसा कि आज हम प्रगट कर रहे हैं। अिसलिये हमें अपनी वृत्ति और मानसको बदलना चाहिये, सामूहिक बुद्धिमत्ता तथा अधिकसे अधिक सयानपनसे अिस सवालका सामना करना चाहिये और अैसे निर्णय पर पहुंचना चाहिये, जो माने अुअे ध्येयकी ओर हमारी प्रजाको आगे बढ़ानेमें सहायक सिद्ध हो। हमें संकुचित या अेक भाषाके प्रान्तीयवादसे अूपर अुठना चाहिये, जो आज हम पर बुरी तरह हावी हो गया मालूम होता है।

२०-१२-५५

(अंग्रेजीसे)

अ० प्र०

#### गलत समझ

मध्यभारतसे अेक भाअी लिखते हैं:

“मध्यभारत भूदान-यज्ञ-समितिा अेक पंद्रह दिवसका शिविर रतलामके पासके अेक गांवमें हुआ था। अुसमें अनेक अुच्च कोटिके विद्वानोंके भाषण और शरीर-श्रमके कार्य अुअे। परंतु शिविरमें कुछ लोगोंके और कुछ स्त्री-पुरुषोंके अेक ही थाली-कटोरीमें भोजन करने पर जब अुनसे कहा गया कि अिस प्रकारका सहभोज स्वास्थ्यके नियमोंके विपरीत है, तो बहुतसे प्रमुख कार्यकर्ताओं तकको यह बात नहीं जंची। खास करके रतलामके श्वेताम्बरी स्थानकवासी जैन सज्जनोंकी।

“शिविरमें अेक पक्षका कहना था कि साथ खानेमें आपसका प्रेम बढ़ता है, जब कि दूसरे पक्षका कहना था कि अिस प्रकारका सहभोज अस्वास्थ्यकर और शिविरमें अेक भद्दा नमूना पेश करनेवाला है।

“गांववालों पर अिसका बुरा असर पड़ रहा है।”

यदि यह सही है तो कहना चाहिये कि यह मानना गलत है—अेक वहम है कि अिस तरह खानेसे आपसका प्रेम बढ़ता है। सहभोजनका अर्थ यह नहीं है। अुआछूतके बिना सब लोग अेक पंगतमें बैठकर अपनी-अपनी थालीमें स्वच्छतापूर्वक अपना खाना खायें, यह ठीक है। अुसका अर्थ अेक ही पात्रमें खाना नहीं है।

२३-१२-५५

#### सर्वोदयके ध्येयके लिये

अ० प्र०

श्री अेम० के० सेन लिखते हैं कि पूर्ण रूपसे सर्वोदयके ही ध्येयके लिये काम करनेवाली अेक प्रेस अेजेन्सी कायम की गयी है, जिसका मकसद सर्वोदयके आदर्शोंके बारेमें समाचार, सूचना और लेख अिकट्टे करके दैनिक पत्रों और सामयिक पत्रोंको बांटना होगा। अुसका दफ्तर सी-५२, कॉलेज स्ट्रीट मार्केट, कलकत्ता-१२ में रहेगा।

अिसके साथ में अेक और खुशखबर जोड़ना चाहता हूं कि सर्व-सेवा-संघने अंग्रेजीमें 'भूदान' नामक अेक साअिकलो स्टाअिलका अर्ध-साप्ताहिक बुलेटिन हैदराबादसे पिछले माह निकालना शुरू किया है। वह भी भूदानके जरिये सर्वोदयके ध्येयको आगे बढ़ानेके लिये ही निकाला जाता है।

हम दोनोंकी पूर्ण सफलता चाहते हैं।

२०-१२-५५

(अंग्रेजीसे)

अ० प्र०

## हरिजनसेवक

३१ दिसम्बर

१९५५

### नयी आर्थिक नीति

मैं पाठकोंका ध्यान जिस अंकमें अन्यत्र दिये गये श्री जवाहर-लालजीके भाषणकी ओर खींचता हूँ। वह एक अप्रकाशित भाषणकी रिपोर्ट है, जो अन्होंने ५ दिसम्बर, १९५५ को पार्लमेन्टमें कांग्रेस पार्टीकी बैठकमें दिया था। बेशक वह हमारी मौजूदा आर्थिक नीतिका बहुत महत्त्वपूर्ण बयान है। वह हमें अपनी आजकी आर्थिक विचारसरणी और विकासकी मंजिल पर प्रधानमंत्रीके रुख और दृष्टिको बताता है। यह मौका सचमुच बड़ा नाजुक और महत्त्वपूर्ण परिणाम लानेवाला है। जिसलिखे उसके बारेमें आज हम जो निर्णय करेंगे, उसका बड़ा दूरगामी महत्त्व होगा और हमारे देशके भविष्य पर उसका बड़ा असर होगा।

आज हमारे देशकी आर्थिक प्रगतिके विषयमें जिन दो नारोंने मार्गदर्शक सिद्धान्तोंका रूप ले लिया है—पहला, बुद्धिगीकरणके जरिये उत्पादन बढ़ाना; दूसरा, छोटे पैमानेके ग्रामोद्योगोंका विस्तार करके लोगोंको अधिकाधिक कामधंधा देना। प्रधानमंत्री स्वभावतः जिस कठिन समस्याको हल करनेकी अपनी दृष्टिमें सावधान और जाग्रत रहना चाहते हैं। वे निश्चित रूपमें कहते हैं कि जिस विषयमें बुनियादी सिद्धान्तोंके बारेमें कोबी झगड़ा नहीं है। अन्होंने कहा है: “सिद्धान्तोंके साथ मैं सहमत हूँ, और एक सिद्धान्त यह है कि हमें अम्बर चरखेको यथाशक्ति आगे बढ़ाना है।” दूसरा सिद्धान्त है उत्पादनकी नयी नयी पद्धतियाँ अपनाकर ‘बड़े पैमाने पर’ उत्पादनको निश्चित बनाना। एक संयोजित आर्थिक प्रयत्नमें जिन दोनों सिद्धान्तोंका मेल हमें बैठाना होगा।

जिसलिखे समस्या यह है कि जिन दोनोंके बीच सन्तुलन कैसे कायम किया जाय? उत्पादन बढ़ानेकी जरूरत तो साफ है। पश्चिमने जिसकी पद्धति बता दी है, और उसमें लगभग रोज ही सुधार हो रहा है। लेकिन यहां हमारी भारतीय परिस्थितियोंमें एक रुकावट आती है, अर्थात् ‘यंत्रोद्योग-संबंधी बेकारी’ की समस्या खड़ी होती है। जैसा कि प्रधानमंत्रीने कबूल किया है, “अगर कोबी चीज बेकारी पैदा करती है तो हमें सोचना होगा कि क्या किया जाय।” जिसलिखे हमें कामधंधा बढ़ानेकी व्यवस्था करनेके दूसरे और अगर ज्यादा नहीं तो अतने ही महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त पर ध्यान देना चाहिये।

भारतीय संविधानका आदेश है कि :

“राज्य अचित्त कानून बनाकर, या आर्थिक संगठन करके या दूसरे किसी मार्गसे जिस बातका प्रयत्न करेगा कि खेतिहरों, मिल-मजदूरों और दूसरे सारे कामगारोंको काम और पेटभर मजदूरी मिले, वे असी हालतोंमें काम करें जिनसे जिस बातका विश्वास हो कि अउनका रहन-सहन भले लोगों जैसा है, तथा वे फुरसतके समयका और सामाजिक व सांस्कृतिक अवसरोंका पूरा पूरा लाभ अठा सकें। और खास करके—

“राज्य गांवोंमें घरेलू बुद्धिगीकोंके व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ानेका प्रयत्न करेगा।”

राज्यकी यह वैधानिक जिम्मेदारी है। जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं, “जिस प्रश्न पर पूंजीवादी दृष्टिकोणसे विचार करने पर भी यह हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर हम लोगोंको कामधंधा न दे सकें तो हमें अन्हें ‘डोल’ देना चाहिये। अंग्लैण्ड और उसके जैसे दूसरे देशोंको यही करना पड़ता है। . . . देशमें १ करोड़ लोगोंको ‘डोल’ देना हमें पुसा नहीं सकता।

‘डोल’ देना बुरी बात भी है। ‘डोल’ देनेके बजाय कामधंधा देना कहीं बेहतर है, भले वह काम आर्थिक दृष्टिसे नुकसान पहुंचानेवाला हो। . . . असी नीति पर अमल करना और भी बुरा है, जो अकदम न सही परंतु धीरे धीरे भी यथाशक्ति बेकारी दूर करनेमें हमारी मदद नहीं करती।”

अक ओर बुद्धिगीवाद और उसके फलस्वरूप पैदा होनेवाली ‘यंत्रोद्योग-संबंधी बेकारी’ और दूसरी ओर कामधंधा बढ़ाने या अर्ध-बेकारी और पूर्ण बेकारीको दूर करनेकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताके अूपरसे दिखायी देनेवाले जिस विरोधाभासके बीच मेल बैठाने और सन्तुलन कायम करनेकी समस्या आजके आर्थिक इतिहासकी अक अनोखी समस्या है। जिसके लिखे असा ही अनोखा हल भी खोजा जाना चाहिये। जिसका मार्ग अम्बर चरखे जैसे औजारों द्वारा हमारी विशाल मानव-शक्तिका अुपयोग करनेकी विकेन्द्रित पद्धतिका विकास करनेसे मिल सकता है। यह हमारे गांवोंके लाखों घरोंमें विकेन्द्रीकरणकी कृषि-औद्योगिक अर्थरचनाको फैलानेका गांधीवादी मार्ग है। जिस अंकमें अद्भुत किया गया प्रधानमंत्रीका भाषण जिस बातका काफी प्रमाण है कि जिस प्रश्नमें बड़े गंभीर मुद्दे समाये हुये हैं। हमें बिना किसी पूर्वग्रहके या पश्चिमके आर्थिक या यंत्रोद्योगवादी दकियानुसीपनके पहलेसे बने-बनाये विचारोंके बिना धैर्यपूर्वक जिन मुद्दोंको हल करनेमें लगना चाहिये।

२१-१२-५५  
(अग्नेजीसे)

मगनभाई देसाई

### बम्बयी भारतकी दूसरी राजधानी

बम्बयी शहरको भारतकी दूसरी राजधानी बनानेका सुझाव (देखिये ता० १०-१२-५५ के ‘हरिजनसेवक’ में ‘दिल्ली और बम्बयी’ नामक लेख) आगे बढ़कर दिल्ली तक पहुंचा है, यह देखकर आनन्द होता है। अखबारोंसे पता चलता है कि श्री विनोबाको यह सुझाव पसन्द है और अन्होंने इसे दिल्ली तक पहुंचाया है। देशकी प्रजाकी ओरसे अन्होंने जिस अच्छी बातको या अचित्त विचारको आगे बढ़ाया है, जिसके लिखे में अन्हें धन्यवाद देता हूँ।

बम्बयी शहरका अक छोटासा अलग राज्य बनानेसे यह सुझाव जरूर अधिक अच्छा है। जो वर्तमान बम्बयी राज्यके तीन राज्य बनानेमें विश्वास रखते हैं, अन्हें तो यह सुझाव अच्छा लगेगा ही। और मुझे असा भी लगता है कि अगर जिन दो सुझावोंमें से अकका चुनाव करना हो तो महाराष्ट्रका मन भी बम्बयीको भारतकी दूसरी राजधानी बननेका गौरव प्रदान करनेवाले सुझावकी ओर ही झुकेगा। बम्बयी नगरीकी जनताको भी यह सुझाव पसन्द आयेगा, क्योंकि उसकी जनतामें जिस प्रश्नको लेकर जो दुःखद स्थिति, मनमुटाव, जनूनी कड़वाहट और हिंसा पैदा हुयी है, वह भी जिस तरहकी योजनासे ही मिटायी और भुलायी जा सकती है। सारे भारतको भी यह विचार पसन्द आयेगा, क्योंकि बम्बयी वास्तवमें तो व्यवहारकी दृष्टिसे आज भी भारतकी अक प्रकारकी राजधानी है ही। अुस पर मुहर लगाना ही बाकी है।

अक विचार यह प्रगट किया जाता है कि बम्बयीके राजनीतिक क्षेत्रके लोगोंको यह विचार शायद पसन्द नहीं आयेगा। स्वतंत्र धारासभा और मंत्रिमंडल वगैराकी सत्ता भोगनेका स्वप्न अउनके दिमाग पर हावी हो गया हो, तो वह जिस सुझावसे खतम हो जाता है। बात ठीक है। परंतु वे लोग भी जिस दूसरे सुझावको अुड़ा तो नहीं देंगे। अितना तो वे भी कबूल करेंगे कि यह सुझाव ज्यादा अच्छा है। तब सवाल केवल व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाका रह जाता है। मेरा विश्वास है कि असे व्यक्ति-

गत विचार बम्बयीके प्रति अनकी सच्ची भक्ति और प्रेमके सामने टिक नहीं सकेंगे। अनकी नगरीको भारतकी दूसरी राजधानीका अपूर्व गौरव और सम्मान मिल रहा है, यह क्या कम संतोषकी बात है?

ता० १०-१२-५५ के अपरोक्त लेखमें मैंने राज्य-पुनर्रचना कमीशनकी रिपोर्टके दिल्ली-प्रकरणका अल्लेख किया था। उसके ५९३वें पैरेमें असी दलीलकी चर्चा करते हुअे कहा गया है कि दिल्लीको संघ-सरकारकी सीधी हुकूमतमें रखा जाय तो "दिल्लीके लोगोंको अक राज्यकी प्रजाके नाते स्वराज्यका अपभोग करनेका मौका नहीं मिलेगा; यह अक प्रतिगामी कदम माना जायगा।" अिसके जवाबमें रिपोर्टमें कहा गया है कि "राष्ट्रकी राजधानीमें रहनेवाले लोगोंको अक खास लाभदायक दर्जा प्राप्त होता है, अिसलिये अुसके बदलेमें थोड़ा त्याग करनेके लिये तो अुन्हें तैयार रहना ही चाहिये।" यह सामान्य प्रथा है कि दुनियामें किसी भी राष्ट्रकी राजधानी राष्ट्रके सीधे शासनमें ही रहती है। यह होते हुअे भी हमारे देशमें तो असा है कि राजधानीकी प्रजाका पार्लमेन्टमें प्रतिनिधित्व रहेगा। अिसलिये वे संघ-सरकारमें अवश्य भाग ले सकेंगे। अिसके सिवा, राजधानीका नागरिक जीवन अुसकी प्रजाके रचे हुअे कारपोरेशनके हाथमें होगा। अुसके अधिकार, कर्तव्य और अुसकी सत्ता सामान्यसे अधिक होगी। अिसके अलावा, बम्बयी नगरके पोर्ट ट्रस्ट तथा पुलिस वगैरा महकमों और कारपोरेशनको अक साथ गूथकर अक विशेष व्यवस्थाकी रचना की जा सकती है—की जानी चाहिये। अुसमें नगरकी प्रजा अपना नगर-स्वराज्य पूरी तरह भोग सकेगी। कहनेका मतलब यह कि राजधानी बननेसे बम्बयी नगरकी प्रजा स्वराज्यके अपभोगका लाभ खोयेगी नहीं, बल्कि अपने प्रदेशके अनुरूप ढंगसे अच्छी तरह अुसका अपभोग कर सकेगी।

रिपोर्टके ५९० वें पैरेमें राजधानीके लिये जरूरी प्रदेश विस्तारकी चर्चा करते हुअे कहा गया है कि राज्यके लिये अधिक विस्तार चाहिये। लेकिन राजधानीके लिये अुतना नहीं चाहिये। राजधानीके लिये तो अुसके भावी विकासके अन्दाजसे जितना भूभाग आवश्यक हो अुतना ही चाहिये। यह चीज बम्बयीको भारतकी दूसरी राजधानी बनाया जाय तो अुस पर भी लागू होती है।

पार्लमेन्टमें बम्बयीके विषयमें चर्चा हो चुकी है। अुसमें महाराष्ट्रके मुख्य सदस्योंने जो कुछ कहा, अुससे अिस बातके और ज्यादा कारण जाननेको मिलते हैं कि कमीशनकी द्विभाषी राज्यकी सिफारिश किस तरह अव्यावहारिक और टिक न सकने जैसी है। अिसलिये अुसे रद्द मान कर ही चलना चाहिये—यह महाराष्ट्रका विचार महाराष्ट्रसे बाहर भी जड़ पकड़ता जा रहा है। अिसके कारण भले अुन अुन प्रदेशोंके लोगोंके अलग अलग हों, परंतु अितना तो स्पष्ट है कि बम्बयीके द्विभाषी राज्यकी बात बेकार है। तो फिर क्या किया जाय? पार्लमेन्टमें जिम्मेदार व्यक्तियोंने यह बताया है कि कांग्रेस कार्यकारिणीकी तीन राज्य बनानेकी सूचनाको बम्बयी राज्यके सारे पक्षोंने दूसरे नम्बर पर पसन्द किया है। अिसके आधार पर आगे बढ़कर अिस सूचनाको अधिक स्वागतयोग्य बनानेका विचार करना है। अिसमें बम्बयीको राष्ट्रकी दूसरी राजधानी बनानेका सुझाव अपयोगी सिद्ध हो सकता है। सब मिलकर अिस पर विचार करें और गञ्जी-गुजरी बातोंको भूलकर अिस विषयमें अकमत हो जाय, तो अुसमें सभीकी शोभा बढ़ेगी और बम्बयी नगरी सुन्दर ढंगसे फिर अक होकर अपने जीवनका विकास करेगी।

२६-१२-५५  
(गुजरातीसे)

मगनभाई देसाई

## सफाअी-कामगारोंका सवाल

अक समय अिस विषयमें चर्चा चल रही थी कि यंत्रोद्योगोंके बजाय ग्रामोद्योगों द्वारा बेकारी दूर हो—अधिक लोगोंको काम मिले तो ज्यादा अच्छा है। अिसे बिलकुल नापसन्द करनेवाले अक यंत्रोद्योगवादके अभिमानीने ताना मारते हुअे कहा, "पाखाना-सफाअीके लिये भी असा ही सोचें तो बहुत लोगोंको काम मिल सकता है!"

यह बात सुनकर किसी भी देशाभिमानी भारतीयको दुःख होनेके साथ गुस्सा आये बिना नहीं रहेगा। अिसमें छिपी क्रूर मूर्खताकी हद हो गञ्जी है!

अिस परसे मुझे अक अिसी तरहकी क्रूर मूर्खताकी दूसरी बात याद आञ्जी, जो १९३७ में गांधीजीकी बुनियादी तालीमकी कल्पनाके निकलने पर अक विद्वान सम्पादकने कही थी। अुन्होंने अपने अंग्रेजी अखबारमें लिखा था, "पड़ोसमें चलनेवाले अुद्योगके द्वारा शिक्षण देनेकी बात यदि बम्बयीके अपनगर बांदरामें लागू करनी हो, तो वहां कसाअीखानेके अुद्योग द्वारा बच्चोंको शिक्षण देना चाहिये!"

परंतु असी बातोंका कड़वा घूंट पी जाना चाहिये। यह सच है कि वे कहनेवालेके मनमें गांधीजीकी सूचनाके खिलाफ रही सख्त नापसन्दगी बताती हैं। खैर।

पाखाना-सफाअीकी मुख्य बातका विचार करें। शहरोंमें गटरोंके जरिये यह काम होता है; लेकिन सभी बड़े शहरों और गांवोंमें गटर नहीं होतीं। असे सब स्थानों पर तो म्युनिसिपैलिटी सफाअी-कामगारोंको रखकर यह काम अुनसे करवाती है। अिसमें यंत्रोद्योगका कोअी विचार भी नहीं करता। गटर बनवायें तो भी अुसे साफ तो रखना ही पड़ता है। अिस कामके लिये भी लोगोंको नौकर रखना पड़ता है। अिसलिये पाखाना-सफाअीसे अधिक रोजी मिलनेकी बात तो बेसमझी और अज्ञानकी ही मानी जायगी।

लेकिन अिसमें भी प्रश्न दूसरा ही है। अिन कामगारोंकी हालत और तनखाहें कैसी हैं? आज अिन प्रश्नोंकी जो अपेक्षा की जाती है वह अक्षम्य है। बम्बयी राज्यमें अिन बातोंका विचार करनेके लिये बर्वे-समिति कायम की गञ्जी थी। अुसकी बहुत मर्यादित सिफारिशों पर अमल करनेमें भी कञ्जी जगह आनाकानी की गञ्जी। ये सिफारिशें कोअी अंतिम नहीं थीं। सच पूछा जाय तो अिस दिशामें अुनसे भी आगे जाना चाहिये।

पाखाना-सफाअी वगैराके बारेमें कुछ लोग असा कहते हैं कि हरिजनोंको यह काम ही छोड़ देना चाहिये। अिसके बिना सवर्ण हिन्दू समाजको भान नहीं आयेगा। हरिजन यह काम छोड़ें ही नहीं, असा कोअी अुनसे कह नहीं सकता। भारतके नागरिकोंके नाते अुन्हें कोअी भी काम करनेका अधिकार है। परंतु असा मानकर तो वह हरिजिन नहीं छोड़ा जाना चाहिये कि वह काम बुरा है या न करने जैसा है। सच्चा सुधार तो यह होना चाहिये कि समाजके लिये पाखाना-सफाअीका काम नीचा है, अिस तरहकी भावना मिट जानी चाहिये। अिसीलिये गांधीजी हमेशा कहा करते थे कि मैला अुठानेका काम तो हमारी मां करती है; अुसे नीचा या हलका कौन कह सकता है? यह काम हर-अकको करना चाहिये। अिसीलिये बुनियादी तालीममें अुसे स्थान दिया जाता है। प्रत्येक शाला अपना, पाखाना और पेशाबघर रखे और बालक समझके साथ अुनकी सफाअी करना सीखें, तो वे अनुबन्धपूर्वक स्वास्थ्य-विज्ञान भी सीखेंगे और सफाअीके नियमोंका पालन करना भी अुन्हें अपने-आप आ जायगा। अिस तरहकी श्रान्ति शिक्षणमें हो, तो ही हमारी जनताके गलत संस्कार अक पीढ़ीमें दूर हो सकते हैं। पाखाना-सफाअी और झाड़ू लगकर

कचरा-कूड़ा साफ करनेका काम अन्तमें तो हमेशा विकेंद्रित ही रहनेवाला है। हर घरको और हर व्यक्तिको उसका ध्यान रखना चाहिये। सारे समाजका जो कूड़ा-कचरा अिकट्ठा हो उसकी युचित व्यवस्था करके उससे सोने जैसा कीमती खाद तैयार करनेके बारेमें म्युनिसिपैलिटियों तथा सरकारोंको योजनाबद्ध विचार करना चाहिये। जिस संबंधमें योजना-कमीशन कुछ नहीं करता, यह बड़े दुःखकी बात है। ऐसी हालतमें यह काम राज्य-सरकारोंको अपने स्वास्थ्य-विभाग और स्थानीय स्वराज्य-विभागके मारफत करना चाहिये। जिसके लिये अेक आवाजसे अखिल भारतीय स्तर पर प्रयत्न किया जाय, तो अस्पृश्यता-निवारणके काम पर उसका अच्छा असर होगा। और देशके लोकमानस तथा शिक्षणमें भी उससे जरूर फर्क पड़ेगा।

२१-१२-५५  
(गुजरातीसे)

मगनभाई देसाई

### देशी भाषायें और राजकाज

रेल्वे बोर्डने अपने विभागमें यह आज्ञा निकाली है कि स्टेशनों पर तरह तरहके जो तख्ते लगाये जाते हैं, उनमें अमुक अंग्रेजी शब्दोंके लिये अमुक हिन्दी पर्यायोंका अपुयोग किया जाय। इसके पहले अुन अंग्रेजी शब्दोंके लिये अमुक हिन्दी शब्द रचे गये थे और तख्तों पर वे शब्द लिखे जाने लगे थे। वे शब्द कैसे विचित्र थे, यह नीचेके कुछ अुदाहरणोंसे मालूम होगा। Exit = प्रस्थान। Waiting Room = प्रतीक्षालय। (for Ladies = स्त्री-प्रतीक्षालय!) आदि।

अब जो शब्द सुझाये गये हैं उनमें बहुत सुधार हो गया है। यह बताता है कि पारिभाषिक शब्दोंकी रचना धीरे-धीरे केवल संस्कृतसे लदे हुअे अनुवादसे बाहर निकल रही है। यह बहुत स्वागतके योग्य परिवर्तन है, जो सरकारके सभी विभागोंमें फैलना चाहिये—खास करके शिक्षा-विभागके पारिभाषिक शब्दोंकी रचनासे संबंधित मंडलमें; आज तो वह जिस दिशामें क्या कर रहा है, जिसका लोगोंको कुछ पता ही नहीं चलता!

रेल्वे बोर्ड द्वारा सुझाये गये नये शब्दोंके नमूने अखबारोंके संवाददाताने दिये हैं, जो मैं नीचे देता हूं:

'प्लेटफार्म' और 'स्टेशन मास्टर' शब्द मूल रूपमें ही रहेंगे। (गुजरातीमें प्लेटफार्मके तद्भव रूपमें 'फलाट' कहा जाता है, जो अपनाते जैसा माना जा सकता है।)

Assistant = सहायक

Exit = बाहर

Entrance = अन्दर

Parcel Outward = जानेवाला पारसल

Parcel Inward = आनेवाला पारसल

ऐसे सरल और लोगोंकी समझमें आने लायक शब्द सुझानेके लिये रेल्वे बोर्डको धन्यवाद देना चाहिये। इसी तरह अगर दूसरे सरकारी विभाग भी काम करने लगें, तो अंग्रेजीसे हिन्दी पर पहुंचनेमें पंडित लोग और सरकारी अधिकारी भय दिखाकर जो देर करवाते हैं वह तुरन्त बन्द हो जाय। असल बात जिस काममें लगनेकी यानी लोगोंमें प्रचलित शब्दोंको अपनाते जानेकी और अुनका अपुयोग शुरू करनेकी है। अेक बार जिस कामकी हवा फेली कि लोग भी जिसमें मदद करने लगेंगे और कामको तेजीसे आगे बढ़ानेमें सहयोग देंगे।

रेल्वे बोर्डको अब दूसरा काम यह करना है कि वह लोगोंके साथ अपना पत्रव्यवहार सादी हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओंमें शुरू कर दे। जिसमें कानून रुकावट नहीं डालेगा। जिस तरह यदि केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकारोंके सारे विभाग लोगोंके साथ देशी भाषाओंमें पत्रव्यवहार शुरू कर दें तो भाषा-विषयक

क्रान्ति तुरन्त शुरू हो जायगी। जिसके बिना १५ वर्षमें जो परिवर्तन करनेकी अपेक्षा संविधानमें रखी गयी है, उसका वातावरण नहीं पैदा हो सकेगा। प्रान्तोंकी नवरचनाके बाद सरकारोंको यह महान कार्य हाथमें लेना चाहिये।

१२-११-५५  
(गुजरातीसे)

मगनभाई देसाई

### वनस्पति अपना सिर अुठा रहा है

वनस्पति अुद्योगके पीछे जो खतरे छिपे हैं, अुनके बारेमें हम हमेशा संस्कारको और लोगोंको चेतावनी देते रहे हैं। वह धीके व्यापारको नष्ट करता है, तेलघानीके अुद्योगको बरबाद करता है और धीमें मिलावट करने लायक चीज मुहैया करके धोखेसे लोगोंको पोषक खुराकसे वंचित रखता है। आखिर अितने समय बाद सरकार उसकी बुराअियोंके प्रति जाग्रत होती दिखायी देती है।

केन्द्रीय सरकारके अन्न और कृषि मंत्रालयके बाजार और निरीक्षणसे सम्बन्ध रखनेवाले संचालक-मंडलने 'धीका अध्ययन' नामक अेक पुस्तिका निकाली है। भारत-सरकारके संचालक-मंडलने भारतके ३४ शहरोंमें हाल ही धीके नमूनोंकी जो जांच की थी, वह बताती है कि बाजारमें बेचे जानेवाले धीमें व्यापक रूपमें मिलावट की जाती है। औसत ग्राहकके लिये बाजारमें मिलनेवाले धीकी शकल, स्वाद या गंधसे उसकी परख करना असंभव होता है। जो नमूने अिकट्ठे किये गये थे, अुनमें से ३३ प्रतिशतमें बिलकुल धी नहीं था। २५ प्रतिशत नमूनोंमें पचास प्रतिशत तक मिलावट थी और ३३ प्रतिशतमें धीके कुछ निशान ही पाये गये थे। कहा गया है कि सबसे ज्यादा मिलायी जानेवाली चीज वनस्पति था। और काममें लिया जानेवाला अंसा धी भैंस और गायके मक्खनके मिश्रणसे बनाया जाता है। केवल आठ नमूने मिलावटसे मुक्त थे, लेकिन "पोषणकी दृष्टिसे बहुत घटिया थे, जिनमें तीन प्रतिशतसे भी अधिक खट्टी चरबीवाले तत्त्व थे।"

जुलाअीसे सितंबर १९५२ तक जो ८४ नमूने अिकट्ठे किये गये थे, अुनमें से ५६में वनस्पतिकी चरबी मिलायी गयी थी; दूसरे २० नमूनोंके गुणके बारेमें शंका थी और अुनके बंकरी और भेंडका धी होनेकी शंका थी।

धीके नमूनोंका यह विश्लेषण मैसूरकी केन्द्रीय अन्न टेकनिकल अनुसंधानशाला द्वारा और कानपुर तथा राजकोटके संचालक-मंडलकी नियंत्रण प्रयोगशालाओं द्वारा किया गया था।

रिपोर्टमें कहा गया है कि देशके लगभग हर भागमें अधिकसे अधिक जो चीज धीमें मिलायी जाती है, वह वनस्पति है।

वनस्पतिके अुत्पादक अेक संघ बनाकर संयुक्त रूपमें अपने मालका विज्ञापन करते हैं। हम जिस बातकी हिमायत करते रहे हैं कि अन्न और दूसरे खाद्य पदार्थोंसे सम्बन्ध रखनेवाले विज्ञापनों पर यह नियंत्रण लगाया जाना चाहिये कि स्वास्थ्य-मंत्रालयकी मंजूरीके बिना वे न निकाले जायं। अिन विज्ञापनोंको बिक्रीके पदार्थोंमें रहे तत्त्वोंका स्पष्ट वर्णन करना चाहिये।

भोलीभाली सामान्य जनताके हितमें जैसे कदम निहायत जरूरी हैं। पोषणकी दृष्टिसे हमारी जनताका भोजन बहुत घटिया होता है और जिस कमीकी और बढ़ानेके लिये सरकार गरीब जनताकी रक्षा करनेके बदले उसके अज्ञानका नाजायज फायदा अुठानेके लिये अुत्पादकोंको बढ़ावा देती है। हम आशा करते हैं कि कमसे कम अब तो सरकार ग्राहकोंकी रक्षाके लिये गहरा विचार करके जिस दिशामें अुचित कदम जरूर अुठायेगी।\*

(अंग्रेजीसे)

अे० सी० कुमारप्पा

\* दिसम्बर १९५५ की 'ग्रामोद्योग पत्रिका' से अुद्धृत।

## मिल बनाम अम्बर चरखा

असा कहा जा सकता है कि मैं कपड़ेकी खरीद, बिक्री और उत्पादनके व्यवसायमें जन्मसे ही पड़ा हुआ हूँ। और आजके कपड़ा तैयार करनेवाले तथा कपड़ेका अपयोग करनेवाले सारे देशोंका दौरा भी मैंने किया है। लगभग पच्चीस-छब्बीस वर्षके अपने अनुभवसे मैं कहूँगा कि अम्बर चरखा ही हमारी ग्रामजनताकी बेकारी दूर करनेका बड़ेसे बड़ा साधन है।

वर्षासे कपड़ा उत्पादन करनेवाले अंक कारखानेदारके नाते भी मैं दावेके साथ कहूँगा कि अम्बर चरखेका अर्थ है कपड़ेके मिल-अद्योगका विकेन्द्रीकरण।

कपड़ा-मिलोंके मालिकोंकी चिन्ताको हम समझ सकते हैं। मैं उनमें से ही अंक हूँ। अम्बर चरखेके अपयोगसे यंत्रोंके बल पर चलनेवाली बड़ी मिलों पर जरूर असर होगा। परन्तु यह असर देशके लाखों बेकार लोगोंको काम देनेकी तुलनामें कुछ नहीं है।

बड़ी मिलोंके कपड़ेकी कीमतकी तुलना अम्बर चरखेके सूत तथा कपड़ेकी कीमतके साथ करनेवाले लोग यह बात आसानीसे भूल जाते हैं कि भारतके मिल-अद्योगको बाहरके कपड़ेके खिलाफ सौ प्रतिशत आयात-महसूलका रक्षण प्राप्त है। अतना ही नहीं, विदेशोंसे कपड़ा मंगानेकी भी लगभग पूरी मनाही है।

मेरा यह विश्वास है कि अम्बर चरखेको अतना रक्षण तो क्या, कपड़ा मिल-अद्योगको मिलनेवाले रक्षणका अमुक प्रतिशत रक्षण या मदद भी मिले, तो यह सिद्ध हो जायगा कि कपड़ा-अद्योगका विकेन्द्रीकरण इस देशके लिये रामबाण अलाज है।

कपड़ा मिल-अद्योगको सरकारकी ओरसे जो विजली, पानी, जमीन, पूंजी तथा अन्य सुविधायें और रक्षण प्राप्त होते हैं, अतनी सब सुविधायें और मदद या अनुका अमुक प्रतिशत भी अगर अम्बर चरखे जैसे भारतके लाखों गरीबोंको रोजी देनेवाले साधनों और औजारोंको मिले तो हमारा देश जल्दी अन्नत और खुशहाल बनेगा।

यह निश्चित है कि जब हमारे लाखों गांवोंमें बिजली, अच्छी सड़कें तथा डाक-तार और यातायातकी सुविधायें पहुंच जायंगी, तब शहरोंमें कृत्रिम ढंगसे चलनेवाले बड़े अद्योगोंका अन्त आ जायगा। इसीलिये स्थापित स्वार्थवाले लोग गांवोंमें बिजली, पानी, डाक-तार, यातायात वगैराकी सुविधायें दाखिल करनेमें ढिलाजी करते हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारीने भारतके अद्योग-मंत्रीके नाते छोटे और बड़े तथा शहरों और गांवोंके अद्योगोंकी ओर समान दृष्टि रखनेके बदले कपड़ेके केन्द्रित मिल-अद्योगका जो पक्ष लिया है, वह अन्यायपूर्ण और अशोभनीय है।

खादी और मिल-कपड़ेकी कीमतोंकी तुलना करनेवालोंको अंक बात हमेशा याद रखनी चाहिये कि मिल-कपड़ेके उत्पादनमें मिलनेवाली बिजली, पानी, रूखी, पैसे वगैराकी सुविधायें अगर खादी-उत्पादन करनेमें मिलें, तो कपड़ेका केन्द्रित मिल-अद्योग कभी भी विकेन्द्रित ग्रामोद्योगके सामने टिक नहीं सकता। अम्बर चरखा कपड़ेके मिल-अद्योगके लिये अंक जबरदस्त चुनौती है। इसीलिये अुसका जन्म होते ही अुसे दबा देनेकी बातें हो रही हैं, जो देश तथा अुसके लाखों ग्रामजनोंके हितमें नहीं हैं।

(गुजरातीसे)

अणिलाल दोशी

## हमारे गांवोंका पुनर्निर्माण

लेखक : गांधीजी

संपादक : भारतन् कुमारप्पा

कीमत १-८-०

डाकखर्च ०-५-०

नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद-१४

## श्रद्धा और विचार

“अस समय हर जगह धार्मिक पागलपन बढ़ता मालूम हो रहा है। छोटे-छोटे गांवोंमें साधु-संत धर्मके बहाने अपने पैर फैला रहे हैं। भोलीभाली प्रजाको धर्मके पीछे पागल बनाकर यज्ञ-याग कराते हैं और हजारों रुपयोंकी बरबादी करा रहे हैं। ये पैसे अगर प्रजाकी ओरसे दी गयी रकमके रूपमें पंचवर्षीय योजनाके लिये खर्च किये जायं तो ग्राम-विकासके बहुतसे काम हो सकते हैं। क्या ऐसे धार्मिक पागलपनको आप रोक नहीं सकते?”

अंक पाठकने असा प्रश्न किया है। असा प्रश्न अुठ सकता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सरकारें बड़ी बड़ी दावतें और समारोह करती हैं (मिसालके लिये, अभी अभी जो विदेशी मेहमान आये थे अुनके लिये)। यह पैसा बचाकर अगर पंचवर्षीय योजनामें लगाया जाय तो देशको कितना लाभ हो? इसी तरह थोड़े समय पहले अर्थमंत्री श्री देशमुखने कहा था कि लोग शादियों और जाति-भोजनोंमें जो पैसा खर्च करते हैं, वह बचाया जाय तो योजनाके लिये कितना अपयोगी हो सकता है!

यहां असल बात हमारी श्रद्धाकी और अुस परसे आंकी जानेवाली किसी चीजकी कीमत और महत्त्वकी है। अुदाहरणके लिये, पत्रलेखकको लगता है कि लोग धर्म मानकर यज्ञ-यागके पीछे जो पैसा खर्च करते हैं वह निरा पागलपन है; अैसी समझवाले लोग भोले हैं इसीलिये ‘साधु-संत’ अुन्हें भुलावेमें डालते हैं। अर्थात् लोगोंमें पुराने धार्मिक रीत-रिवाजोंके बारेमें जो परम्परागत श्रद्धा है, वह अिन भाओको अच्छी नहीं लगती। अुन्हें पंचवर्षीय योजनामें अधिक श्रद्धा है।

अिस योजनाको भी नये प्रकारका ‘यज्ञ’ क्यों नहीं कहा जा सकता? अुसी प्रकार जिस प्रकार जवाहरलालजी भाखरा-नंगल वगैरा बांधोंको नये ‘तीर्थ’ मानते हैं।

और अिन नये यज्ञों और तीर्थोंके विषयमें भी अुनके दाव-पेच या शास्त्र जाननेवाले — अपुरोक्त ‘साधु-सन्तों जैसे — निष्णात लोग नहीं होते? और अुनमें भी क्या धूर्त, ठग या रिश्वतखोर नहीं होते?

अिस प्रकार यहां मैं विचारकी तुलना जो कर रहा हूँ वह कड़ी मालूम हो सकती है। लेकिन असा मैं केवल विचारकी स्पष्टता और अुदारताकी जरूरत बतानेके लिये ही कहता हूँ। अिससे ज्यादा गहरे अर्थमें अिस तुलनाको न खींचनेकी मैं पाठकोसे प्रार्थना करता हूँ। जहां मूल श्रद्धाका सवाल हो, वहां अैसे श्रद्धा-भेदको भी ध्यानमें रखकर विचार किया जाय तो अुसमें अधिक नम्रता और स्पष्टता आनेकी संभावना रहती है। इसीलिये मैंने अपूरकी चर्चा की है।

समाजकी अन्य बातोंकी तरह धर्मके विषयमें भी रुढ़िके रूपमें यज्ञ-याग, पूजा-पाठ वगैरा चलता है। अुसमें संशोधन करना तथा विचार और विवेकको जाग्रत रखना जरूरी है। परन्तु यह काम वे ही कर सकते हैं, जिनका धर्मके प्रति आदर और श्रद्धा हो। आजकल जिन लोगोंमें यह आदर और श्रद्धा कम होती है, वे धर्मकी हंसी अुड़ायें तो यह अुचित नहीं माना जायगा। धर्म अन्तमें तो स्वयं पालने और अुसी तरह प्रचार करनेकी वस्तु है। और अुसके बाहरी रूप अगर समाजकी नीति-रीति और मर्यादासे बाहर न हों अथवा समाज-हितकी दृष्टिसे निन्दाके पात्र न हों, तो अुनके विषयमें समाजके लोगोंमें परस्पर सहिष्णुता और समभावनाके गुणोंका विकास होना चाहिये। वर्ना हमारे जैसे अनेक धर्मवाले देशमें सारी प्रजा अंक साथ नहीं रह सकती। इसीलिये हमें सर्वधर्म-सहभावका भी खयाल रखना चाहिये।

१५-१२-५५

(गुजरातीसे)

अगनभाई देसाई

## कल्याण-राज्यसे लोकराज्यकी ओर

स्वराज्यके बाद वेलफेअर स्टेट (कल्याण-राज्य) का देशमें आरम्भ किया गया। कल्याण-राज्यका अर्थ है अधिकसे अधिक सत्ता कुछ व्यक्तियोंके हाथोंमें रहेगी और लोगोंका सारा जीवन वे व्यक्ति नियंत्रित करेंगे। कुल देशके पांच लाख देहातोंकी योजना दिल्लीमें बनेगी। जीवनके जितने अंग-प्रत्यंग हैं, उनके विषयमें दिल्लीमें ही बातें तय होंगी। समाजमें क्या-क्या सुधार हों, शादियां किस ढंगसे हों, छूत-अछूतका भेद कैसे निवारण किया जाय, देशमें कौनसी चिकित्सा-पद्धति लागू की जाय, हिन्दुस्तानमें किस भाषाका प्रचलन चाहिये, सिनेमा किस ढंगसे चलने चाहिये अत्यादि जीवनके विषयोंमें दिल्लीमें योजना तय होगी। यदि अतनी अधिक सत्ता हम केन्द्रको देते हैं, तो सारा जन-समुदाय पराधीन हो जाता है, अनाथ बनता है। जिस वास्ते दिल्लीकी सत्ता ही कम होनी चाहिये। परमेश्वरने हरअेकको जितनी जरूरत है, अतनी बुद्धि बांट दी है और खुद क्षीरसागरमें शयन करता है। अगर उसने कुल अकलका भंडार अपने पास रखा होता, तो वह पसीना-पसीना हो जाता। परन्तु उसने मनुष्योंको और प्राणियोंको बुद्धि दे दी है और अतना तटस्थ रहता है वह कि कुछ लोग कहते हैं कि वह ही नहीं।

सर्वोत्तम सत्ताका यह लक्षण है कि उसका विभाजन सां-त्रिक होता है। सर्वोत्तम सत्ता वह होती है जिसके बारेमें यह शंका होती है कि कोअी सत्ता चलाता भी है या नहीं? हमें यह शंका होनी चाहिये कि दिल्लीमें कोअी राज्य चलाता है या नहीं? कोअी कहेंगे, 'हां, दिल्लीमें राज्य चलता है, बीच-बीचमें वहां सज्जन आते हैं, सभा होती है, चर्चा करते हैं।' कोअी कहेंगे, 'वहां कोअी राज्य चलाता है असा नहीं दीखता है, क्योंकि हमारे गांवका कारोबार तो हम ही देखते हैं।' केन्द्रीय सत्ता जिस तरहसे परमेश्वरी सत्ताका अनुकरण करनेवाली होनी चाहिये।

सत्ताका विभाजन होना चाहिये और ज्यादासे ज्यादा अधिकार गांवमें होना चाहिये। अेक गांव हो या दो-चार-पांच छोटे गांव मिलकर अेक क्षेत्र बने हों, लेकिन छोटी-छोटी अिकाअियोंमें पूर्ण सत्ता होनी चाहिये। गांव-गांवमें ग्राम-योजना चलेगी। ग्राम-योजना ग्राममें होनी चाहिये। आज तो सारे राष्ट्रके लिये दिल्लीमें योजना बनती है। जिस तरीकेसे अपना देश बन नहीं सकता, जिसकी ताकत नहीं बढ़ सकती। जिसलिये होना यह चाहिये कि गांवका कारोबार पूरा-पूरा गांवमें ही हो। गांवके लिये आयात-निर्यात रोकनेका अधिकार गांवको होना चाहिये। गांववाले अपने लिये जो फैसला करेंगे वह सर्वानुमतिये होगा।

अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज अहिंसा पर खड़ा हो, तो हमें दूसरे ढंगसे सोचना चाहिये। उसके लिये हमें अपने समाजकी रचना अपने विचारसे करनी चाहिये। केवल पश्चिमका अनुकरण नहीं चलेगा। कुल दुनियाके देशोंके लोग शांतिके लिये प्यासे हैं, क्योंकि वे अेटम और हाअिड्रोजनकी शक्तिके मारे भयभीत हैं। वे समझ गये हैं कि जिससे दुनियाका नाश होगा, कुछ काम नहीं होगा। अगर हम शांति चाहते हैं, तो शांतिके अनुकूल रचना करनी होगी। करना यह होगा कि सरकारका अेक-अेक कार्य जनताको अपने हाथमें लेना होगा। सरकारका काम कम होते होते सरकार क्षीण हो जाय, अैसी योजना करनी होगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अभी मैं प्रेम-समाजमें बोल रहा था। प्रेम-समाजके लोग बीमारोंकी और दुखियोंकी सेवा करते हैं। हिन्दुस्तानके तमाम बीमारोंकी सेवा करनेका काम जनता अुठा लेगी तो सरकारका स्वास्थ्य-विभाग खतम हो जायगा। और यह होगा तो बहुत बड़ी बात बनेगी। जैसे रामकृष्ण मिशनके मठोंने सब दूर बीमारोंकी सेवाका काम अुठा लिया है, वैसी जगह-जगह संस्थाओं बनें और लोगोंकी तरफसे काम अुठा लिया जाय। फिर जनताकी

जिस चिकित्सा पर श्रद्धा है वही पद्धति चलेगी। लोग अपनी शक्तिसे सारे काम चलायेंगे। सरकार जब तक है, तब तक अुस काममें थोड़ी मदद दे। परन्तु सरकारका चिकित्सा-विभाग नहीं रहेगा। फिर जो बी० सी० जी० वाला वाद चला है, वह अुटेगा नहीं। आज हालत यह है कि सरकार चाहेगी तो सब लड़कोंको बी० सी० जी० का अिजेक्शन लगवायेगी। राजाजी जिस बारेमें बहुत बोल चुके हैं। यह सारा जिसलिये होता है कि जिस देशने केन्द्रके हाथमें सब सत्ता सौंप दी है। हमारे बच्चोंको कौसी दवा देनी चाहिये, यह बात हम लोग तय करेंगे। आजकी हालत यह है कि आरोग्यके लिये कौनसी पद्धति चले, यह सरकार सोचती है। हम कहते हैं कि यह बहुत बड़ा जुल्म है।

दूसरी मिसाल देता हूँ। शिक्षण पर आज राज्यसत्ताका नियंत्रण है। जो पाठ्यपुस्तक अुत्तरप्रदेशकी सरकार तय करेगी, वही पाठ्यपुस्तक अुस प्रान्तके सब बच्चोंको पढ़नी होगी। जिसका मतलब यह है कि बच्चोंके दिमागोंमें अपने विचार ठूसनेकी शक्ति सरकारके हाथोंमें आवे। अगर सरकार कम्युनिस्ट हो तो बच्चोंको कम्युनिज्म सिखायेगी। सरकार फासिस्ट हो तो सब बच्चोंको फासिज्म सिखायेगी। सरकार सोशलिस्ट हो तो बच्चोंको सोशलिज्म सिखाना होगा। पूंजीवादी हो तो पूंजीवादका गौरव सर्वत्र सिखाया जायगा। सरकार योजनावादी हो, तो योजनाकी महीमा बच्चोंके दिमागमें ठूसी जायगी। मतलब यह है कि बच्चोंके दिमागको आजादी नहीं रहेगी। जिसलिये हमारे देशमें माना गया था कि शिक्षण पर राज्यकी सत्ता होनी ही नहीं चाहिये। सान्दीपनि गुरु पर वसुदेवकी सत्ता नहीं चल सकती थी। वसुदेवका लड़का श्रीकृष्ण सेवक बन कर सांदीपनिके पास जा सकता था और सांदीपनि सुदामाके साथ लकड़ी चोरनेका काम कृष्णको देते थे। अब वहां पर कौनसी पाठ्यपुस्तक चलनी चाहिये, वह वसुदेव नहीं देखता था। क्षत्रियसत्ता — राज्यसत्ता शिक्षण पर हरगिज नहीं चल सकती। जिसका परिणाम यह हुआ कि संस्कृत भाषामें आज जितना विचार-स्वातंत्र्य है, अतना कहीं नहीं दीख पड़ता। हिन्दू-धर्मके अन्दर छह छह दर्शन निकले और वे भी परस्पर विरोध करनेवाले — मीमांसाका खण्डन वेदांत करता है, वेदांतका खंडन मीमांसा करती है; सांख्यका खंडन वेदांत करता है, वेदांतका खंडन सांख्य करता है। लेकिन सांख्य भी हिन्दू है, वेदांत भी हिन्दू है और मीमांसा भी हिन्दू है। विचारका अतना स्वातंत्र्य यहां चल सका, अुसका कारण यही है कि राज्यसत्ताका कोअी काबू शिक्षण पर नहीं था। जिस तरहसे सरकारका अेक अेक कार्य जनताके हाथमें आयेगा और सरकारकी सत्ता क्षीण होती जायगी, तो दुनियामें अहिंसा भी टिकेगी और शांति भी टिकेगी। अगर केन्द्रीय सत्ताके हाथमें लोग रहेंगे, तो समझना चाहिये कि दुनिया खतरेमें है।

(१८ नवंबर, १९५५ के 'भूदान-यज्ञ' से)

विनोबा

विषय—सूची	पृष्ठ
हमारी बुनियादी आर्थिक दृष्टि	जवाहरलाल नेहरू ३४५
नयी आर्थिक नीति	मगनभाई देसाई ३४८
बम्बअी भारतकी दूसरी राजधानी	मगनभाई देसाई ३४८
सफाअी-कामगारोंका सवाल	मगनभाई देसाई ३४९
देशी भाषायें और राजकाज	मगनभाई देसाई ३५०
वनस्पति अपना सिर अुठा रहा है	जे० सी० कुमारप्पा ३५०
मिल बनाम अम्बर चरखा	मणिलाल दोशी ३५१
श्रद्धा और विचार	मगनभाई देसाई ३५१
कल्याण-राज्यसे लोकराज्यकी ओर	विनोबा ३५२
टिप्पणियां :	
संकुचित वृत्तिसे सावधान रहें	म० प्र० ३४७
गलत समझ	म० प्र० ३४७
सर्वोदयके ध्येयके लिये	म० प्र० ३४७